सप्लाई चेन और तकनीकी सहयोग पर चर्चा

- इंडो-पैसिफिक को मजबूत बनाएंगे क्वाड देश : जयशंकर
- इंडो-पैसिफिक मुद्दों पर केंद्रित रही बैठक

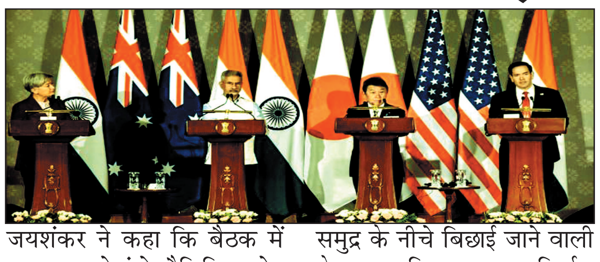

नई दिल्ली, 26 मई. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि क्वाड देशों का उद्देश्य आपसी सहयोग को मजबूत करना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और स्थिर बनाना है.

उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही. जयशंकर ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.उन्होंने कहा कि क्वाड के चारों सदस्य समुद्री सीमाओं वाले लोकतांत्रिक देश हैं, जो इंडो-पैसिफिक के अलग-अलग हिस्सों में स्थित हैं और साझा हितों के तहत सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'यह हमारी 2026 की पहली बैठक है. विदेश मंत्री ने बताया कि क्वाड देश समुद्री निगरानी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल्स, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं.उन्होंने कहा कि सुरक्षित और निर्बाध समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन बेहद जरूरी है.

क्वाड देशों ने इस दिशा में सहयोग और मजबूत करने पर सहमति जताई.जयशंकर ने कहा कि क्वाड के सभी सदस्य बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं और आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक, उत्पादन क्षमता, ऊर्जा, उर्वरक और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई.

> क्वाड देशों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी तरह की बाधा का सबसे अधिक प्रभाव इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है. चारों देश मिलकर एनर्जी मार्केट को स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए काम करेंगे.

डीआरडीओ वैज्ञानिक के घर 50 लाख की चोरी

नई दिल्ली, 26 मई. राष्ट्रीय राजधानी के तिमारपुर इलाके स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन परिसर में चोरी की घटना सामने आयी है, जहां चोरों ने कथित तौर पर एक वैज्ञानिक के आवास का ताला तोड़कर करीब 45 से 50 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण, विदेशी मुद्रा और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. यह घटना डीआरडीओ परिसर स्थित राम नारायण साइंटिस्ट हॉस्टल में हुई, तिमारपुर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार चारों ने घर के तीन ताले तोड़े और बाद में स्टील की अलमारी को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे कीमती सामान लेकर फरार हो गये. शिकायतकर्ता सीमा गौतम ने बताया कि वह अपनी बेटी और पति से मिलने चंडीगढ़ गयी थीं.

दक्षिणी ईरान में अमेरिका का हवाई हमला

- खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे : खामेनेई
- माइन बिछा रही नौकाएं और मिसाइल साइट बने निशाना

वाशिंगटन, 26 मई. पश्चिम एशिया में जारी संकट बुरी तरह से उलझता नजर आ रहा है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो किसी भी हाल में इस युद्ध को अमेरिका के लिए जीत साबित करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ईरान है, जो अपने दशकों पुराने अमेरिकी डर का सामना करके और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है.

इसी निडरता का परिचय देते हुए शांति समझौते के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अब से खाड़ी देश अमेरिकी ठिकानों के लिए 'ढाल' की तरह काम नहीं कर पाएंगे. ईद-अल-अजहा के मौके पर खामेनेई ने ईरानी लोगों के लिए एक लिखित बयान जारी किया। इस बयान में खामेनेई ने अमेरिका के साथ चल रही शांति वार्ता को लेकर भी बात की। इतना ही नहीं युद्ध की स्थिति को लेकर उन्होंने साफ किया कि अब ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने से नहीं चूकेगा। उन्होंने कहा, 'यह निश्चित है कि समय के हाथ अब पीछे की तरफ नहीं मुड़ेंगे. जमीन अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल का काम नहीं करेगी.

> दक्षिणी ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक करते हुए ईरानी मिसाइल लॉन्च साइटों और माइन बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं को निशाना बनाया. अमेरिकी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई अपने सैनिकों और युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए की गई. यह हमला ऐसे समय हुआ है जब दोनों देशों के बीच युद्धविराम और परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है. इस घटनाक्रम ने पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ा दिया है.

मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण

- राजनाथ सिंह समेत कई मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

नई दिल्ली, 26 मई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मंगलवार को 12 साल पूरे हो गए हैं. साल 2014 में 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, 26 मई 2014 को भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई. जिस दिन नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, वह दिन देश में शासन-व्यवस्था, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रतीक बन गया. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'अंत्योदय' की भावना को सही मायनों में साकार किया गया है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्स पर लिखा, 'देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन तपस्वी और तेजस्वी का है. उनका नेतृत्व त्रिकालदर्शी है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, 'सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जनविश्वास, विकास और राष्ट्र सेवा के 12 गौरवशाली वर्ष पूर्ण किए हैं.

इन 12 वर्षों में देश ने आत्मनिर्भरता, जनकल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति और वैश्विक नेतृत्व के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक्स पर लिखा, राष्ट्र निर्माण की इस प्रेरणादायी यात्रा के लिए प्रधानमंत्री को कोटिशः नमन एवं हार्दिक शुभकामनाएं.

कच्चा तेल सस्ता, पर राहत नहीं

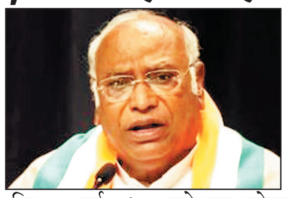

नई दिल्ली, 26 मई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बावजूद वह जनता को राहत नहीं दे रही है बल्कि अपना खजाना भरने में मशगूल है. खरगे ने मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 मई 2014 को जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला था, उस समय भारतीय बास्केट का कच्चा तेल 108.05 डॉलर प्रति बैरल था और डॉलर-रुपया विनिमय दर 58.59 रुपये थी.

एनआईए ने मालदा जिले से 14 लोगों को किया गिरफ्तार

कोलकाता, 26 मई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों को कथित तौर पर बंधक बनाने, हिंसक विरोध प्रदर्शन और रास्ता जाम करने के मामले में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से 14 और लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला एक अप्रैल को मालदा के कालियाचक-द्वितीय ब्लॉक के मोथाबारी में हुई घटना से जुड़ा है. वहाँ मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का विरोध कर रही एक उग्र भीड़ ने तीन महिला अधिकारियों सहित सात न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक कथित तौर पर बंधक बना लिया था. एनआईए की टीमों ने सोमवार देर रात मालदा के कालियाचक और मोथाबारी में कई ठिकानों पर छापेमारी कर ये गिरफ्तारियां कीं.

ईडी ने पांच जगहों पर की छापेमारी

नयी दिल्ली, 26 मई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 258 करोड़ के नशीले पदार्थ तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मदुरै और चेन्नई में पांच जगहों पर छापेमारी की है. यह नेटवर्क समुद्र के रास्ते श्रीलंका में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था. ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि यह कार्रवाई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा जॉन ब्रिटो और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस और कस्टम एक्ट के तहत दर्ज मामलों के आधार पर शुरू की गयी है. 108 करोड़ रुपये मूल्य की 99 किलोग्राम 'हाशिश' और लगभग 150 करोड़ रुपये कीमत की 37.5 किलोग्राम श्रीलंका भेजने का आरोप है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	132005234	संपत्ति के बदले ऋण	06-मई-2026	5,19,632.25/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. अरविंद्र यादव 2. सीमा अरविंद

संपत्ति का पताः बहरामपुर ग्राम, पीएच नं. 21, आबादी खसरा नंबर 254 (बी), ग्राम पंचायत सीमा, तहसील गोगावां, जिला खरगोन (मध्य प्रदेश) में स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 95.07 वर्ग मीटर है, जिस पर मकान बना हुआ है, और उक्त संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सामान्य सड़क, पश्चिमः श्री सुभाष का घर, उत्तरः सुश्री रुखमा बाई का घर, दक्षिणः श्री राजेंद्र यादव का घर

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 27.05.2026
स्थानः मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक (पूर्व में शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 19-03-2026 को 103041548604 के लिए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें निम्नलिखित को बुलाया गयाः 1. श्री संतोष कुमावत पुत्र शिवनारायण कुमावत (ऋणकर्ता) मकान संख्या 69, वार्ड संख्या 03, पिपलखुंटा, जिला। रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001, 2. श्री शिवनारायण कुमावत पुत्र धूरा जी कुमावत (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर 69, वार्ड नंबर 03, पीपलखूंटा, जिला. रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001, 3. श्रीमती सयाना कुमावत पत्नी संतोष कुमावत (सह-उधारकर्ता) मकान नंबर 69, वार्ड नंबर 03, पीपलखूंटा, जिला। रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001, 4. श्रीमती केशर बाई कुमावत पत्नी शिवनारायण कुमावत (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) मकान नंबर 69, वार्ड नंबर 03, पीपलखुंटा, जिला। रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001, 5. श्रीमती गंगा बाई पत्नी बने सिंह (सह-ऋणकर्ता) मकान संख्या 69, वार्ड संख्या 03, पिपलखुंटा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001 उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता(ओं) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने वर्ष 27 मई, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा 6,46,000/- (छह लाख छियालीस हजार मात्र) और उस पर ब्याज के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति पर समतुल्य बंधकः आवासीय संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 561 वर्ग फुट (52.11 वर्ग मीटर) है, संपत्ति पीएचएन पुराना 51 नया 97, मकान संख्या 69, खसरा संख्या 741, वार्ड संख्या 03, पिपलखुंटा, ग्राम पंचायत पिपलखुंटा, तहसील एवं जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में स्थित है। उप-पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण संख्या MP16IGR18242024A100037032, दिनांक 28-11-2024। श्रीमती केशर बाई कुमावत पत्नी शिवनारायण कुमावत के नाम पर।

सीमाएँ:

पूर्व	शंकरलाल का घर	पश्चिम	सार्वजनिक सड़क
उत्तर	संजय का घर	दक्षिण	गोविंद का घर

दिनांकः 27.05.2026
स्थानः नोएडा
Sd/- प्राधिकृत अधिकारी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA
पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सीआईएन संख्याः U67190MH2008PLC187552

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पढ़ा गया।

जबकि अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांकित विस्तृत मांग नोटिस जारी कर, नीचे सूचीबद्ध उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर (सभी को एकवचन या सामूहिक रूप से "देनदार" कहा गया है)/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार करने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक A.D. द्वारा भेजी गई हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि, यदि चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त देनदार/देनदारों के कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना/सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर टीसीएचएफएल को उनके नाम के आगे उल्लिखित राशि का भुगतान करें, साथ ही नीचे कॉलम (D) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक नीचे दिए गए ब्याज का भी भुगतान करें, जैसा कि ऋण समझौते और उक्त देनदार/देनदारों द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लिखित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के अनुसार देय है। ऋण के उचित पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में, उक्त देनदार/देनदारों द्वारा टीसीएचएफएल के पास निम्नलिखित गिरवी रखी गई संपत्तियां हैं।

ऋण खाता संख्या	ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एनपीए की तिथि
TCHHL02840 00100319795 & TCHIN02840 00100320957	श्री नितिन वर्मा (ऋणकर्ता) श्रीमती मोनिका वर्मा (सह-ऋणकर्ता)	रु. 21,61,707/- और रु. 74,563/-	19.05.2026 और 05.05.2026

सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरणः गंगा पार्क के प्लॉट संख्या 115 का वह पूरा हिस्सा, जो पीएच संख्या 39, वार्ड संख्या 42, सरल संख्या 720, देवास सीनियर, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 92.96 वर्ग मीटर (1000 वर्ग फुट) है। सीमाएँ: पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - प्लॉट संख्या 156, उत्तर - प्लॉट संख्या 114, दक्षिण - प्लॉट संख्या 116

ऋण खाता संख्या	ऋणी/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	निम्न तिथियों पर कुल बकाया राशि रु.	डिमांड नोटिस और एनपीए की तिथि
9954549 & TCHIN05590 00100089459 & TCHIN 0559000100175224 & TCHIN0559000100280761	श्री प्रदीप चौर्स (ऋणकर्ता) श्रीमती पूजा चौर्स (सह-ऋणकर्ता)	रु. 3,17,658/- और रु. 2,08,676/- और रू. 2,80,593/- और रू. 3,62,969/-	06-06-2025 और 03.06.2025

गिरवी रखी गई संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू तहसील के महू गांव, पीस वैली कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या 195 के उत्तरी भाग का पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट (37.17 वर्ग मीटर) है। सीमाएँ: पूर्वः प्लॉट संख्या 184 और 183, पश्चिमः कॉलोनी की सड़क, उत्तरः प्लॉट संख्या 194, दक्षिणः इस प्लॉट का शेष भाग

*उपरोक्त दिनांकित संबंधित मांग नोटिसों में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए खर्च भी शामिल होंगे। यदि उक्त देनदार उपरोक्त अनुसार टीसीएचएफएल को भुगतान करने में विफल रहता है, तो टीसीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के जोखिम पर कार्रवाई करेगा, जिसमें लागत और परिणाम भी शामिल होंगे।

उक्त अधिनियम के तहत उक्त देनदार/कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि को टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उक्त गिरवी रखी गई संपत्ति/अचल संपत्ति का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया गया है। जो भी व्यक्ति अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन में सहायता करता है, वह अधिनियम के तहत निर्धारित कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांकः- 27.02.2026
स्थानः- इंदौर
हस्ताक्षरित/- प्राधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा।

इसके बाद, असाईनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है।

कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
मेग्मा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC- 370	HL/0135 /H/15/10 0049	1. कमल सिंह (ऋणी) 2. लाल सिंह (सह-ऋणी) 3. सोडान सिंह (सह-ऋणी) 4. सोराम बाई (सह-ऋणी)	रु. 4,81,426/- (रुपये चार लाख इक्यासी हज़ार चार सौ छब्बीस मात्र) एवं 29-12-2021	21-05-2026	भौतिक कब्जा

अचल संपत्ति का विवरण:- बंधक संपत्ति/मकान नंबर 80, सर्वे नंबर 360, पटवारी हल्का नं.67, वार्ड नंबर 8, ग्राम आक्यालिम्बा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456441 सम्पूर्ण भाग एवं अंश, कुल क्षेत्रफल 1344 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ इस प्रकार हैं:-** पूर्व: नारायण सिंह जी का कंपाउंड, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: भगवान सिंह जी का मकान, दक्षिण: धर्मेंद्र सिंह जी का मकान

स्थान : मुम्बई,
दिनांक : 26-05-2026
प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
CIN - U67100MH2007PLC174759
पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, पहली मंजिल, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई - 400098.

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 8(5) एवं (6) नियम 9(1) के अंतर्गत प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

असाइनर की वित्तीय सुविधाएं **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को सौंपी गई हैं, जो दिए गए कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विभिन्न ट्रस्टों के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उक्त असाइनमेंट के अनुसरण में, **ईएआरसी** ने असाइनर के स्थान पर कदम रखा और सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। **ईएआरसी** ने, सुरक्षित ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। एतद्द्वारा नोटिस सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार और जमानती (ओं) को **15/30 दिन की सूचना** दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पक्ष में बंधक अधोल्लिखित अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ जिनका **भौतिक कब्जा** प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, **ईएआरसी** के देय नीचे वर्णित राशियों और इस पर आगे की ब्याज व अन्य व्यय/लागतों, घटाए कर्जदार और जमानती से **ईएआरसी** को प्राप्त कोई धनराशि, की वसूली के लिए **"जो है जहाँ है" और "जहाँ है, जैसी भी है" और "जो भी है"** आधार पर बिक्री की जायेंगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित हैं। इस नोटिस को सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9(1) के तहत बिक्री की सूचना के रूप में माना जाएगा।

नीलामी के लिए रखीं प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण:

ऋण खाता सं./बिक्री संस्थान	कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	ट्रस्ट का नाम	कुल बकाया राशि दिनांक 25.05.2026 को	आरक्षित मूल्य (रु. में)	अग्रिम जमा राशि ईएमडी (रु. में)	नीलामी तिथी व समय	कब्जे का प्रकार
611573619 एवं 611572917	1. श्री चौधरी सुरेश (ऋणी) 2. श्रीमती संगीता चौधरी (सह-ऋणी)	EARC-TRUST-SC-469	₹ 33,24,121.9	₹ 35,00,000/-	₹ 3,50,000/-	16.06.2026 दोप. 12:30 बजे	भौतिक
अचल संपत्ति का विवरण: मकान नंबर बी-73, एमआईजी, जवाहर नगर, म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महूगाँव, महू, ज़िला - इंदौर (मध्य प्रदेश) - 453488 स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - मकान नंबर बी 72, पश्चिम - मकान नंबर बी 74, उत्तर - सड़क, दक्षिण - प्लॉट नंबर 80 एवं 81							
AFH00400 0945185	1. श्री अशोक कुमार तिवारी (ऋणी) 2. श्रीमती आरती तिवारी (सह-ऋणी)	EARC-TRUST-SC-471	₹ 9,92,437.26	₹ 3,60,000/-	₹ 36,000/-	16.06.2026 दोप. 1:00 बजे	भौतिक
अचल संपत्ति का विवरण: फ्लेट नंबर जी-4, ग्राउंड फ्लोर, ड्रीम मंगल रेसीडेंसी स्थित; जो ड्रीम आशियाना, प्लॉट नंबर 181, ग्राम लिमोदागारी, तहसील हातोद, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) स्थित सम्पत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: फ्लेट नंबर जी 5, पश्चिम: फ्लेट नंबर जी 3, उत्तर: फ्लेट नंबर जी 1, दक्षिण: ओपन							
'AFH00400 0773024	1. श्री रामीज़ राजा (ऋणी) 2. श्री मेहबूब खान (सह-ऋणी) 3. श्री मेहबूब खान (सह-ऋणी)	EARC-TRUST-SC-471	₹ 51,66,890.30	₹ 25,00,000/-	₹ 2,50,000/-	16.06.2026 दोप. 01:30 बजे	भौतिक
अचल संपत्ति का विवरण: फ्लेट नंबर 606, छठी मंजिल, पुखराज सिटी, ब्लॉक- बी, ग्राम मूसाखेड़ी तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) सम्पत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: अन्य फ्लेट, पश्चिम: अन्य फ्लेट, उत्तर: लॉबी, दक्षिण: एमओएस							
'AFH00400 0556355	1. श्री शकीना खान (ऋणी) 2. श्री नागेश नामदेव (जमानतदार)	EARC-TRUST-SC-471	₹ 14,16,019.28	₹ 10,50,000/-	₹ 1,05,000/-	16.06.2026 दोप. 02:00 बजे	भौतिक
अचल संपत्ति का विवरण: फ्लेट नंबर 304 (तीसरी मंज़िल), प्लॉट नंबर 66, शिव सागर कॉलोनी, कला साई अपार्टमेंट, ग्राम हुक्माखेड़ी, इंदौर (मध्य प्रदेश) सम्पत्ति का समस्त भाग एवं अंश, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: प्लॉट नंबर 68, पश्चिम: फ्लेट नंबर 302, उत्तर: फ्लेट नंबर 303, दक्षिण: प्लॉट नंबर 65							

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1.	ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "**एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी अकाउंट**" के पक्ष में मुंबई में देय होगा।	
2.	आरटीजीएस के माध्यम से किये गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित खाते में होंगे: खाता का नाम: "**एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड - ईएमडी खाता**" खाता संख्या: 000405158602; **बैंक का नाम** -आईसीआईसीआई बैंक लि.; **आईएफएससी कोड:** ICIC0000004	
3.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किए जायेंगे।
4.	बोली जमा करने का स्थान	रिटेल सेन्ट्रल ऑफिस, मुम्बई (ऊपर दर्शाये गये पते पर)
5.	नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाईट)	ई-नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)
6.	संपर्क विवरण	टोल फ्री नंबर : 1800 266 6540
7.	संपत्ति के निरिक्षण की तिथि एवं समय	पूर्व समयादेशानुसार

बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट अर्थात https://auction.edelweissarc.in पर दिया लिंक देखें।

दिनांक : 27.05.2026
स्थान : मुम्बई
प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction

अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र- ग्वालियर
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार

वेबसाइटः https://cdsgwalior.nic.in/, फोनः 0751-2991397, ईमेलः gwalior.cds@gmail.com

भर्ती सूचना 02/2026

अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र-ग्वालियर, क्रॉस डिसेबिलिटीज अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) के निम्नलिखित पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिन्हें विशुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर भरा जाना है:

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	पारिश्रमिक (प्रति माह समेकित वेतन)
01	नैदानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक	01	45 वर्ष	रू. 40000/-
02	व्यावसायिक चिकित्सक	01	40 वर्ष	रू. 35000/-
03	प्रारंभिक हस्तक्षेपकर्ता	01	40 वर्ष	रू. 35000/-
04	ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट (एएसएलपी)	01	40 वर्ष	रू. 35000/-
05	विशेष शिक्षक पहचान/एएसडी/एमडी/एचआई/वीआई	02	40 वर्ष	रू. 35000/-
06	नर्स	01	35 वर्ष	रू. 30000/-
07	प्रशिक्षित देखभालकर्ता	02	40 वर्ष	रू. 20000/-
08	गतिविधि शिक्षक (पार्ट टाईम)	01	40 वर्ष	रू. 15000/-

शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, नियम और शर्तें आदि से संबंधित संपूर्ण जानकारी और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए, कृपया केंद्र की वेबसाइट https://cdsgwalior.nic.in/notice-category/recruitments/ पर जाएं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि समाचार पत्र में इस भर्ती सूचना के प्रकाशन के 30 दिन बाद है। उपरोक्त अधिसूचना में किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/अद्यतन को केवल केंद्र की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट पर नियमित रूप से जाएं।

Director (offg.),
ABVTCDS-Gwalior

CBC 38126/11/0001/2627